दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से सबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार13, मई, 2002/ बैशाख, 23,1924(शक)

क्रमॉक : 209

सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना अध्यक्ष,आई,पी इस्टेट, जिला

मध्य का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य प्रो. जगदीश मुखी, सर्व श्री राम भज, मोहन सिंह बिष्ट, साहब सिंह चौहान, सुशील चौधरी, पी.सी. योगी व श्री अविनाश साहनी को दिनांक 11.5.2002 को अपराह्रन 12.30 बजे पुलिस की विधि- सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत थाना आई,पी, इस्टेट ने नजर बन्द किया।

तथा उन्हे उसी दिन अर्थात 11.5.2002 को अपराह्रन 12.45 पर

वहीं से रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday May, 13, 2002/ Vaishakh 23, 1924 (Saka)

No. 209

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from S.H.O., I.P. Estate, Delhi:-

"I have the honour to inform you that Prof. Jagdish Mukhi S/Shri Ram Bhaj, Mohan Singh Bisht, Sahab Singh Chauhan, Sushil Choudhery, P.C. Yogi and Shri Avinesh Sahani Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained by Police Station I.P Estate U/s 65 Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 12.30 P.M on 11.5.2002.

They were released at 12.45 P.M. on the same day i.e. 11.5.2002 from same P.S.

S.K.SHARMA SECRETARY